PB-VNK/2.30/2B

**The House reassembled after lunch at thirty minutes past two of the clock, MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair**

**-----**

**MR. DEPUTY CHAIRMAN:** Private Members' Legislative Business. Bills for introduction.

## BILLS INTRODUCED

### THE LABOUR (WELFARE AND REHABILITATION) BILL, 2017

**SHRI VIVEK GUPTA (WEST BENGAL):** Sir, I move for leave to introduce a Bill to establish a Labour Welfare and Rehabilitation Authority to look into the dynamic trends in the labour market, provide for schemes to give interest free loans to workers unemployed for certain periods, issue guidelines for social sector schemes including universal basic income for all working in private and public sector, provide for wages during non-work time for seasonally employed workers, provide for hardship bonus for plantation workers, formulate schemes for rehabilitation of workers of closed industries and for matters connected therewith and incidental thereto.

***The question was put and the motion was adopted.***

**SHRI VIVEK GUPTA**: Sir, I introduce the Bill.

(Ends)

### THE WOMEN (EMPOWERMENT AND WELFARE) BILL, 2017

**SHRI VIVEK GUPTA (WEST BENGAL):** Sir, I move for leave to introduce a Bill to establish a Women Empowerment and Welfare Authority to provide for monthly incentive schemes for girl children, to delay marriage until the age of twenty one years, special saving schemes for women with higher rate of interest inclusive of annual bonus if husband is non-alcoholic, special fund for micro credit schemes, guidelines for mobile healthcare facilities for agricultural labour, regulation of private placement agencies, schemes for widows and for matters connected therewith and incidental thereto.

***The question was put and the motion was adopted.***

**SHRI VIVEK GUPTA**: Sir, I introduce the Bill.

(Ends)

## THE URBAN AREAS (EQUITABLE DEVELOPMENT AND REGULATION) BILL, 2017

**SHRI VIVEK GUPTA (WEST BENGAL):** Sir, I move for leave to introduce a Bill to establish an Urban Areas Equitable Development Authority to provide for clean, hygienic maintenance of environment and public spaces, resettlement of people living in slums in decent housing facilities, issuing guidelines for employment of people in slums in the reconstruction activities, facilitating system of self policing among citizens, proper underground

drainage and sewerage network, dedicated paths for pedestrians and cyclists, formulate policies for subsidising cycles and promoting eco-friendly transport, creation of community markets for hawkers and their resettlement in metro stations and subways, issuing licenses to hawkers, providing for minimum standards to be maintained by private hostels and paying guest accommodations and recommending their compulsory registration, framing guidelines for ensuring equal redistribution of economic and work opportunities in urban areas and for matters connected therewith and incidental thereto.

***The question was put and the motion was adopted.***

**SHRI VIVEK GUPTA**: Sir, I introduce the Bill.

(Ends)

## THE RIGHTS OF PERSONS AFFECTED BY LEPROSY AND MEMBERS OF THEIR FAMILY (PROTECTION AGAINST DISCRIMINATION AND GUARANTEE OF SOCIAL WELFARE) BILL, 2017

**SHRI K.T.S. TULSI (NOMINATED):** Sir, I move for leave to introduce a Bill to protect the human rights of persons affected by leprosy, to eliminate discrimination against them and their families, to promote their social

welfare, to take steps for the prevention and control of leprosy and for matters connected therewith and incidental thereto.

***The question was put and the motion was adopted.***

**SHRI K.T.S. TULSI**: Sir, I introduce the Bill.

(Ends)

(Followed by 2C/SKC)

SKC-NKR/2C/2.35

**THE PROTECTION FROM LYNCHING BILL, 2017**

**SHRI K.T.S. TULSI (NOMINATED)**: Sir, I move for leave to introduce a Bill to provide for effective protection of the constitutional rights of vulnerable persons, to punish acts of lynching, to provide for designated courts for the expeditious trial of such offences, for rehabilitation of victims of lynching and their families and for matters connected therewith or incidental thereto.

***The question was put and the motion was adopted.***

**SHRI K.T.S. TULSI**: Sir, I introduce the Bill.

(Ends)

**MR. DEPUTY CHAIRMAN**: Now, The Compulsory Protection of Witnesses and Victims of Crimes Bill, 2017; Shri Rajkumar Dhoot - not present. The Heritage Cities and Sites (Conservation and Development) Bill, 2017;

again, Shri Rajkumar Dhoot - not present. The Environment Protection (Management of Landfill Sites and Control of Non-Biodegradable Garbage) Bill, 2017; Shri Rajkumar Dhoot - not present. Now, Shri Husain Dalwai.

## THE CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2017
## (AMENDMENT OF ARTICLE 15)

**SHRI HUSAIN DALWAI (MAHARASHTRA)**: Sir, I move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

***The question was put and the motion was adopted.***

**SHRI HUSAIN DALWAI**: Sir, I introduce the Bill.

(Ends)

## THE RIGHT OF CHILDREN TO FREE AND COMPULSORY EDUCATION (AMENDMENT) BILL, 2017

**SHRI HUSAIN DALWAI (MAHARASHTRA)**: Sir, I move for leave to introduce a Bill further to amend the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009.

***The question was put and the motion was adopted.***

**SHRI HUSAIN DALWAI**: Sir, I introduce the Bill.

(Ends)

## THE INDIAN PENAL CODE (AMENDMENT) BILL, 2017

**SHRI K.K. RAGESH (KERALA)**: Sir, I move for leave to introduce a Bill further to amend the Indian Penal Code, 1860.

***The question was put and the motion was adopted.***

**SHRI K.K. RAGESH**: Sir, I introduce the Bill.

(Ends)

**MR. DEPUTY CHAIRMAN**: Now, The Constitution (Amendment) Bill, 2016 (insertion of new article 16A); Shri Vishambhar Prasad Nishad to move the Bill for consideration.

## THE CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2016 (INSERTION OF NEW ARTICLE 16A)

**श्री विशम्भर प्रसाद निषाद (उत्तर प्रदेश) :** महोदय, से मैं प्रस्ताव करता हूं:

" कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

महोदय, मैंने राज्य सभा में 18 नवंबर, 2016 को संविधान संशोधन विधेयक, 2016 पुर:स्थापित किया था। संविधान के अनुच्छेद 16 के पश्चात् 16(क) अंत:स्थापित किया जाए। प्रत्येक नागरिक जो 18 साल की आयु पूर्ण कर चुका है, उसे रोज़गार पाने

का अधिकार होगा। परन्तु ऐसा कोई नागरिक जिसे रोज़गार नहीं दिया जाता है, ऐसी दशा पर बेरोजगारी भत्ता पाने का हकदार होगा, जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे।

महोदय, स्वतंत्रता प्राप्ति के 69 वर्षों के पश्चात् भी भारत की 27 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रही है और बड़ी संख्या में लोग प्रतिवर्ष भुखमरी के शिकार हो रहे हैं। हमारे समाज का एक बड़ा तबका बेरोज़गार है। उनके पास आय का कोई स्त्रोत नहीं है। रोज़गार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध न होने के कारण हमारे नवयुवक स्वयं को जीवित रखने के लिए कट्टरपंथी, आतंकवादी और आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं, अपहरण, डकैती, लूट जैसी अन्य असामाजिक गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं।

(2D/DS द्वारा जारी)

DS-KSK/2.40/2D

**श्री विशम्भर प्रसाद निषाद (क्रमागत)** : जो देश की एकता और अखंडता के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए समय आ गया है कि रोजगार को मौलिक अधिकार बनाने के लिए संविधान में संशोधन किया जाए, ताकि युवा पीढ़ी राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में शामिल न हो। इसके अलावा, नागरिकों को रोजगार दिए जाने तक उन्हें बेरोजगारी-भत्ते की संदायगी का भी प्रबंध किया जाए। उससे युवा पीढ़ी को वित्तीय रूप से मदद मिलेगी और वे राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के बजाय स्वयं को राष्ट्र-निर्माण के कार्य में लगाएँगे।

महोदय, हमारा देश 130 करोड़ लोगों की आबादी वाला देश है। यहाँ प्रति वर्ष बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है। देश को आज़ादी दिलाने में युवाओं का बड़ा

हाथ रहा है। हमारे देश के स्वतंत्रता-संग्राम सेनानी और महान नेताओं, जैसे चन्द्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुभाष चन्द्र बोस, अशफाक उल्ला एवं उनके हजारों नौजवान साथी हँसते-हँसते फाँसी के फंदे पर झूल गए और हमें आज़ाद भारत दे गए, लेकिन आज हम नौजवानों को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। इस समय देश में लगभग 15 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हैं, जिनमें से 20-24 वर्ष की उम्र के लगभग 25 प्रतिशत लोग हैं और 25 वर्ष की उम्र से लेकर 29 वर्ष की उम्र तक के लगभग 27 प्रतिशत से अधिक लोग हैं। "संयुक्त राष्ट्र श्रम संगठन" की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है।

महोदय, भारत एक कृषि-प्रधान देश है, लेकिन देश का किसान आज घाटे की खेती कर रहा है, क्योंकि कृषि में लागत मूल्य से कम कीमत पर किसान की उपज बिक रही है। देश में कुटीर-धंधों को पहले बढ़ावा दिया जाता था, लेकिन आधुनिकीकरण होने के कारण देश में कृषि-कार्य से जुड़े करोड़ों मजदूरों के रोजगार छिन गए। मैं उदाहरण के रूप में बताना चाहता हूँ कि प्रजापति कुम्हार पहले कुल्हड़, घड़ा, दीप तथा खिलौने आदि बनाते थे, जिनका स्थान आज उद्योगपतियों ने ले लिया है। गाँवों में पहले बैलों से खेती होती थी, किसान खुद हल चलाता था, जिसके कारण बढ़ई और लुहार को भी काम मिलता था, लेकिन ट्रैक्टर आ जाने से वे सब बेरोजगार हो गए। पहले जब नदियों पर पुल नहीं थे, तो नावों द्वारा यात्रियों को लाने-ले जाने व माल-भाड़ा ढोने का काम निषाद, मछुआ, केवट, मल्लाह करते थे, लेकिन अब बालू, मोरम खनन, मत्स्य आखेट पूंजीपतियों के हाथ में चला गया है और उससे करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए।

मान्यवर, बेरोजगारी का हाल यह है कि वर्ष 2015 में उत्तर प्रदेश सचिवालय, लखनऊ में लिपिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती में 13,684 पदों के लिए 50 लाख आवेदन आए थे। उनमें 2 लाख से अधिक आवेदक ऐसे थे, जिनमें से कोई पी.एच.डी. था, कोई बी.टेक. था, कोई स्नातक था, तो कोई हायर एजुकेशन का स्टूडेंट था। इसी तरह, वर्ष 2016 में पंजाब की भटिंडा कचहरी में आठवीं कक्षा उत्तीर्ण शैक्षणिक योग्यता वाले 18 चतुर्थ-श्रेणी कर्मचारियों के लिए माँगे गए आवेदनों में 8,000 नवयुवकों ने आवेदन किया था, जिनमें से 50 से अधिक अभ्यर्थी बी.टेक. थे तथा हजारों अभ्यर्थियों की न्यूनतम वांछित योग्यता से अधिक योग्यता थी। मान्यवर, यह बेरोजगारी का हाल है।

महोदय, आज शिक्षा इतनी महँगी हो गई है कि गरीब आदमी उसका खर्च वहन नहीं कर पा रहा है। सरकारी स्कूलों में, प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो पा रही है। "मिड-डे मील" का बहुत बुरा हाल है। खाने के चक्कर में देखने को मिलता है कि तमाम जगहों पर स्कूल्स नहीं हैं। जहाँ स्कूल हैं, वहाँ बच्चों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। ऐसे तमाम वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं कि बच्चे मिड-डे मील खाने के बाद नदी का पानी पी रहे हैं। मान्यवर, कुछ लोग अपने बच्चों को उच्च शिक्षा या तकनीकी शिक्षा दिलाने के लिए घर, जमीन, जेवर आदि गिरवी रखकर साहूकारों व बैंकों से ऋण लेते हैं, लेकिन वे बच्चे नौकरी न मिलने के कारण हताश व निराश हो जाते हैं और उनमें से बहुत-से बच्चे आत्महत्याएँ कर रहे हैं।

मान्यवर, वर्ष 2014 में चुनाव के समय हमारे माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी ने प्रति वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन अभी तक उनका वादा

पूरा नहीं हुआ। वर्ष 2012 की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि 10 वर्षों में 60 करोड़ लोगों को रोजगार मुहैया कराना होगा। मान्यवर, केन्द्र सरकार ने वर्ष 2022 तक 10 करोड़ लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। अभी वर्ष 2017 है और वर्ष 2019 में चुनाव होने हैं, जबकि इन्होंने वर्ष 2022 का लक्ष्य रखा है कि हम इतने नौजवानों को रोजगार देंगे। मान्यवर, यह कैसे संभव होगा?

मान्यवर, 45वें भारतीय श्रम सम्मेलन में काम के अधिकार को मौलिक अधिकारों में शामिल किए जाने की माँग की गई थी। मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि जो श्रम संगठन हैं, उन्होंने सरकार से क्या-क्या सिफारिशें की थीं?

(2ई/एससी पर जारी)

SC-GSP/2.45/2E

**श्री विशम्भर प्रसाद निषाद (क्रमागत)** : और उनकी कौन-कौन सी सिफारिशें विचाराधीन हैं? महोदय, उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव सरकार के समय में जो 1 लाख 72 हज़ार शिक्षा मित्र भर्ती हुए थे, उन्हें नौकरी मिल गयी थी, लेकिन वहां पर योगी सरकार के बनते ही उन्हें हटा दिया गया। इस कारण से वे तमाम लोग परेशान हैं और वहां पर 12 से ज्यादा लोगों ने आत्महत्या कर ली। इसी तरह से देश में कम मजदूरी पर आंगनवाड़ी वर्कर्स, रसोइया, रोज़गार सेवक काम कर रह हैं तथा ब्लॉकों में डिग्रीधारक जेईज़ को बहुत कम संविदा पर रखा गया है, उन्हें बहुत कम तनख्वाह दी जा रही है। इनसे तमाम आवश्यक कार्य, चाहे चुनाव आ जाएं, कहीं बाढ़ आ जाए या जनगणना का काम हो, वे सब काम लिए जाते हैं, लेकिन उन्हें minimum wages से भी

कम तनख्वाह दी जाती है। मेरी मांग है कि चाहे शिक्षा मित्र हों, चाहे आंगनवाड़ी वर्कर्स हों, उन्हें regular किया जाए।

मान्यवर, देश के राज्यों में "मनरेगा" की धनराशि इस समय नहीं दी जा रही है। कई महीनों से मजदूर परेशान है, उनका पैसा बकाया है। महोदय, "मनरेगा" में रोज़गार न देने पर जॉब कार्ड धारकों को बेरोज़गारी भत्ते का प्रावधान है, लेकिन उन्हें अभी तक कोई बेरोज़गारी भत्ता नहीं दिया गया है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अब तक कितने मज़दूरों को बेरोज़गारी भत्ता दिया गया है? महोदय, साल में 365 दिन होते हैं, जिनमें से मज़दूरों को 100 दिन का रोज़गार देने की गारंटी दी गयी थी। मैं यह जानना चाहता हूं कि मज़दूरों के साथ यह नाइंसाफी क्यों हो रही है?

मान्यवर, श्रमायुक्त (केन्द्रीय) प्रवर्तन मुख्य द्वारा तथा राज्यों के श्रमायुक्तों द्वारा न्यूनतम मज़दूरी तथा समान काम में महिला एवं पुरुष मज़दूरी में असमानता है। मैं बताना चाहता हूं कि समान कार्य के लिए महिला और पुरुष में अंतर कर दिया गया है। समान काम के लिए महिला को 250 रुपए और पुरुष को 350 रुपए मज़दूरी दी जाएगी। इस देश में महिलाओं की आधी आबादी है इसलिए उन्हें बराबर मानदेय या मज़दूरी दी जानी चाहिए।

महोदय, गत वर्ष नोटबंदी हुई तो उसके बाद 60 लाख लोग परेशान हुए और 15 लाख से ज्यादा लोगों की नौकरियां चली गयीं। कृषि उत्पाद का मूल्य बाज़ार में मांग और आपूर्ति की स्थितियों द्वारा दैनिक आधार पर सरकार निर्धारित करती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करते समय पांच सितारा होटल में बैठकर ऐसे अधिकारी किसान की फसल का कृषि उत्पाद मूल्य निर्धारित करते हैं, जिन्हें जमीनी ज्ञान नहीं होता, इसलिए

कई राज्यों में बेकारी और घाटे की खेती के कारण आत्महत्याएं हो रही हैं। हमारा बुंदेलखंड भी उसका शिकार है।

मान्यवर, निजी प्रशिक्षण केन्द्रों में, 2016 में "प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना" स्किल इंडिया" योजना केवल कागज़ों पर सिमटकर रह गयी है। बुंदेलखंड के जनपद बांदा में केवल 6 सेंटर हैं, चित्रकूट में 2 हैं, हमीरपुर में 10 हैं, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, जहां सूखा है, अकाल है, वहां बहुत परेशानी है क्योंकि जो franchisees हैं, वे बड़े उद्योगपति हैं और वे नहीं चाहते कि बुंदेलखंड में, त्रिपुरा में, असम में, जहां पर लोग कठिनाइयों में जीवन जी रहे हैं, वहां पर उन्हें technical शिक्षा दी जाए, उन्हें "स्किल इंडिया" के अंतर्गत लाएं और उन्हें placement दें।

मान्यवर, इसके अलावा मैं बताना चाहता हूं कि जो लेबर एक्ट है, उसके तहत 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जाना चाहिए। हम पूरे देश में देख रहे हैं, चाहे दिल्ली हो, चाहे नोएडा हो, चाहे गुजरात हो - अभी हम वापी गए थे, सूरत गए थे, वहां पर हमने देखा कि मज़दूरों से 12 से 16 घंटे तक काम लिया जा रहा है। इसी प्रकार महिलाओं से 10 घंटे ड्यूटी करायी जा रही है और उसके बदले में उन्हें केवल 300 रुपए दिए जा रहे हैं। वहां पर ठेकेदारी प्रथा है, उनसे contract पर मज़दूरी करायी जाती है। हम चाहते हैं कि जो कानून बना है कि आठ घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जाना चाहिए, उसका पालन होना चाहिए।

मान्यवर, अभी हमने देखा कि भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, झांसी में कार्यरत संविदा श्रमिकों का पैसा श्रम मंत्रालय के अधीन कर्मचारी राज्य बीमा, ईएसआई एक्ट, 1948 के अंतर्गत जमा नहीं किया गया और उनकी लाखों रुपए की

धनराशि की आपस में बंदरबांट हो गयी है। इस बारे में खुलासा हो गया है। इस तरह से जो देश के ठेकेदार हैं, वे तमाम लोगों से मज़दूरी कराते हैं और उसके बाद मज़दूरों की मज़दूरी हड़प लेते हैं।

मान्यवर, बेरोज़गारी की समस्या के कारण क्या हैं? मंदा औद्योगिक विकास, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, सैद्धांतिक शिक्षा पर केन्द्रित रहना, उद्योगों में गिरावट, कृषि मज़दूरों के लिए वैकल्पिक रोज़गार के अवसरों की कमी एवं तकनीकी उन्नति न होना - ये सब इसके कारण हैं। मान्यवर, बेरोज़गारी केवल लोगों को ही प्रभावित नहीं करती, बल्कि देश की विकास दर को भी प्रभावित करती है।

(2एफ-जीएस पर जारी)

SK-GS/2F/2.50

**श्री विशम्भर प्रसाद निषाद (क्रमागत)** : इसका देश के सामाजिक और आर्थिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मान्यवर, मैं आपको बेरोजगारी के कुछ नकारात्मक प्रभाव बताना चाहता हूं। बेरोजगारी से अपराधों की दर में वृद्धि होती है, गरीबी में वृद्धि होती है, रहन-सहन का मानक खराब होता है, कौशल और हुनर का नुकसान होता है, राजनीतिक अस्थिरता होती है। मान्यवर, मानसिक विकास के मुद्दे ...(समय की घंटी) ... धीमा आर्थिक विकास..

**श्री उपसभापति** : निषाद जी ..

**श्री विशम्भर प्रसाद निषाद** : मान्यवर, हम आपसे अनुरोध करना चाहते हैं कि ...(समय की घंटी) ...

**श्री उपसभापति** : निषाद जी, अंत में आपको रिप्लाई करने का मौका भी मिलेगा।

**श्री विशम्भर प्रसाद निषाद**: जी।

**श्री उपसभापति** : इसलिए अभी ...(व्यवधान)... You see, the time is only two hours and there are other speakers also. If you consume full time, what will other speakers do? Being the mover, you should listen to others also. So, give them time, you understand that because you have a right to reply.

**श्री विशम्भर प्रसाद निषाद** : मान्यवर, ठीक है।

**श्री उपसभापति** : आपको इसका रिप्लाई करने का मौका भी मिलेगा। इसका मतलब है कि a mover should listen to others. So many speakers are there.

**श्री विशम्भर प्रसाद निषाद** : मान्यवर, समाजवादियों का नारा रहा है और लोहिया जी ने कहा था कि..

**MR. DEPUTY CHAIRMAN**: No, no. Do you understand the point? What I am saying is, ..(Interruptions)..

**श्री विशम्भर प्रसाद निषाद** : बेरोजगारों को रोजगार दो, अन्यथा बेरोजगारी भत्ता दो। मान्यवर, यह हमारा नारा रहा है।

**श्री उपसभापति** : निषाद जी, आप मेरी बात को समझिए।

**श्री विशम्भर प्रसाद निषाद** : मान्यवर, माननीय मुलायम सिंह जी ने और माननीय अखिलेश जी ने उत्तर प्रदेश में लोगों को बेरोजगारी भत्ता देना शुरू कर दिया था, तो ...

**श्री उपसभापति** : निषाद जी, आप मेरी बात सुनिए।

**श्री विशम्भर प्रसाद निषाद** : मान्यवर, हम इसलिए यह बिल लाए हैं कि पूरे देश के नौजवान परेशान हैं।

**श्री उपसभापति** : निषाद जी, आप मेरी बात सुनिए। आप मेरी बात सुनिए। When you are moving a Bill, you are in a position of a Minister here. What you want is to muster the support of others. So, you should allow others to speak. If you have more things to say, you say it in the end. That is the best way. Otherwise, others will not get the opportunity to speak.

**श्री विशम्भर प्रसाद निषाद** : मान्यवर, मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहता हूं कि यह नौजवानों से, बेरोजगार युवाओं से जुड़ा हुआ मेरा Private Member's Bill है, इस पर सब लोग बोलें और इसको सपोर्ट करें। एक ऐसा कानून बने कि सभी नौजवानों को रोजगार की गारंटी मिले। जब तक उनको रोजगार न मिले, तब तक उनको बेरोजगारी भत्ता मिले। मान्यवर, यह मेरा प्रस्ताव है।

(समाप्त)

***The question was proposed***

**श्री उपसभापति** : धन्यवाद। Message from Lok Sabha.

**SHRI JAIRAM RAMESH**: Sir, can I ask a question?

**MR. DEPUTY CHAIRMAN**: I will allow you after this.

## MESSAGE FROM LOK SABHA

## THE CITIZENSHIP (AMENDMENT) BILL, 2016

**SECRETARY-GENERAL**: Sir, I have to report to the House the following message received from the Lok Sabha, signed by the Secretary-General of the Lok Sabha.

"I am directed to inform you that Lok Sabha, at its sitting held on the 29th December, 2017, has adopted the following motion further extending the time for presentation of the Report of the Joint Committee of the Houses on the Citizenship (Amendment) Bill, 2016:-

**MOTION**

"That this House do extend time for presentation of the Report of the Joint Committee on the Citizenship (Amendment) Bill, 2016 upto the first day of the last week of the Budget Session, 2018."

(Ends)

**SHRI JAIRAM RAMESH**: Sir, there are some Bills listed in today's Revised List of Business. Is it the intention of taking up some Bills also today?

**MR. DEPUTY CHAIRMAN**: This is a Bill.

**SHRI JAIRAM RAMESH**: Not the Private Member's Bill, the Government Bill.

**SHRI NEERAJ SHEKHAR**: Not this, Sir, we are talking about the Government Bill.

**MR. DEPUTY CHAIRMAN**: Listen, Private Member's Business will go up to 5.00 p.m. At 5.00 p.m. you can raise this.

**SHRI JAIRAM RAMESH**: No, no, Sir. Please. You have to give us clarity on this because, Sir, this is not right, this is not fair. ..(Interruptions).. Are these Bills going to be taken up today or not?

**MR. DEPUTY CHAIRMAN**: Now you sit down. I will tell you. The point is, it is not proper to ask me to give a reply now. At 5.00 p.m., I will take the sense of the House. ..(Interruptions)..

**SHRI NEERAJ SHEKHAR**: There will be nobody in the House. ..(Interruptions).. There will be nobody in the House at that time. ..(Interruptions)..

**MR. DEPUTY CHAIRMAN**: You say this at that time. ..(Interruptions).. You see, I am doing it in a democratic way. ..(Interruptions)..

**SHRI NEERAJ SHEKHAR**: Since when have we started taking up Government business? ..(Interruptions)..

**MR. DEPUTY CHAIRMAN**: Sit down. ..(Interruptions).. When the Chair stands up, you should sit. Don't you know that? ..(Interruptions).. When the Chair stands up, you should sit. I will explain this. You are asking this question now. But the Chair has no right or authority to say whether at 5.00 p.m. we will take this up or not because the time is up to 6.00 p.m. The Chair's duty is to put the question to the House at 5.00 p.m, and if there is no consensus to discuss ..(Interruptions)..

**SHRI JAIRAM RAMESH**: What you are saying is correct. ..(Interruptions)..

**MR. DEPUTY CHAIRMAN**: It is for the Government to decide. That is my point.

**SHRI JAIRAM RAMESH**: So, you have let the cat out of the bag because what you are saying is, this is going to continue till 5.00 p.m., the House is going to sit till 6.00 p.m. Therefore, from 5.00 to 6.00, these Bills will be taken up.

**MR. DEPUTY CHAIRMAN**: I did not say that. ..(Interruptions).. I did not say that. Let us be very clear.

(Contd. by YSR/2G)

YSR-HMS/2.55/2G

**MR. DEPUTY CHAIRMAN (CONTD.)**: What I said is this. What the Chair at best can do is that it can put the question at 5 o'clock whether to take up the Government Business or not. …(Interruptions)…

**SHRI NEERAJ SHEKHAR**: No, no. …(Interruptions)..

**MR. DEPUTY CHAIRMAN**: You say 'no' at that time. …(Interruptions)… Why do you say it now? …(Interruptions)…

**SHRI NEERAJ SHEKHAR**: Sir, I am asking one question. …(Interruptions)…

**SHRI D. RAJA**: Sir, in the morning meeting with the Chairman, the issue was raised and many suggestions were made. The overwhelming opinion was not to take up the Bills today. …(Interruptions)…

**MR. DEPUTY CHAIRMAN**: I agree.

**SHRI D. RAJA**: I understand that is the consensus.

**MR. DEPUTY CHAIRMAN**: I didn't say that I will take up the Bill. …(Interruptions)… I only said that I would put the question at 5.00 p.m. …(Interruptions)… Isn't it my duty? …(Interruptions)…

**श्री नीरज शेखर :** सर, मैं यह पूछना चाहता हूं कि..(व्यवधान)..

**श्री उपसभापति** : नीरज जी, आप बैठिए।

**श्री नीरज शेखर** : यह नई परंपरा कब से शुरू हो गयी, शुक्रवार को Government Business कैसे आने लगा? सर, यह नई परंपरा है।

**श्री उपसभापति** : आप सुनिए, मैंने आपको सुन लिया। मुझे भी परंपरा की जानकारी है, परंपरा यही है कि 5 बजे the Chair will ask whether we should sit for Government Business or not. Then the House should say so if they don't want it. I have no problem. …(Interruptions)…

**श्री नीरज शेखर** : सर, पहले कभी शुक्रवार को Government Business नहीं लिया जाता था। ..(व्यवधान)..

**MR. DEPUTY CHAIRMAN**: Say that at that time. …(Interruptions)… I am only trying to do my duty. It is for the Government to say that they don't want any Bill today. …(Interruptions)… Do you understand the difference? …(Interruptions)… I will ask the Government. …(Interruptions)… But this should be very clear. …(Interruptions)… You should not go with the impression that the Chair tried to thrust upon a Bill which the House did not

want. …(Interruptions)… That is not the position. …(Interruptions)… The Chair can go according to the established procedure or the rule. The time is up to 6.00 p.m. I cannot otherwise say that the Government Bill cannot be taken up. I cannot do that. But the Government can say…(Interruptions)… I will ask them. …(Interruptions)… The Government can say that. What I said is the Chair's position. Now I am asking the Government to please clarify this. Would you like to sit after 5.00 p.m. to pass one more Bill or not? …(Interruptions)… What is the Government's position? He will say that. It is not my job.

**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल)** : सर, मैंने आज ही सभी सदस्यों का सदन में इस बात के लिए धन्यवाद दिया कि आप सब का बहुत सहयोग मिल रहा है और हम सदन को आम सहमति से ही चलाना चाहते हैं। आप गवर्नमेंट को कहो कि वह बिजनेस न करे, यह ठीक नहीं है। इसलिए 5 बजे आप से राय ले लेंगे। ..(व्यवधान).. हम 5 बजे आप से पूछ लेंगे, जो आपकी राय होगी, हम उसी पर चलेंगे।

**श्री नीरज शेखर** : माननीय मंत्री जी, हम लोग कब से शुक्रवार को Government Business करने लगे हैं?

**श्री विजय गोयल :** आप यही बात 5 बजे कहेंगे तो ठीक रहेगा ..(व्यवधान)..

**श्री नीरज शेखर :** मुझे भी सदन में 3 साल हो गए हैं।

**श्री विजय गोयल :** आप अभी जानना चाहते हैं? ..(व्यवधान)..

**श्री नीरज शेखर :** हां, अभी जानना चाहते हैं। आप कहें तो मैं 10 बजे तक बैठने को तैयार हूं। ..(व्यवधान).. हम तो जयराम रमेश जी से सीखते हैं। ये सुबह आते हैं और जब सदन उठ जाता है, तब जाते हैं। हम लोग तो इन से सीख रहे हैं, लेकिन यह परंपरा नहीं रही है। यह नई परंपरा है।

**श्री विजय गोयल** : इस में नई परंपरा की बात नहीं है। यह हाउस सब से बड़ा है और हाउस कुछ भी तय कर सकता है और यह कहीं नहीं लिखा है कि Friday को गवर्नमेंट बिजनेस नहीं हो सकता। ..(व्यवधान).. रमेश जी, मेरा आप से यह कहना है कि 5 बजे आप जैसा तय करेंगे, हम वैसा करेंगे।

**SHRI JAIRAM RAMESH**: Sir, I would like to make one suggestion. Today, there are very important Private Members' Bills. Extend the time for Private Members' Bills from 5.00 p.m. to 6.00 p.m.

**SHRI VIJAY GOEL**: Okay, Sir. As you like. अगर आप उस समय आप कहेंगे, तो हम मान लेंगे। ..(व्यवधान).. अगर आप उस समय यह कहेंगे, तो हम उस पर भी विचार करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है।

**SHRI JAIRAM RAMESH**: Sir, these are very important Bills. …(Interruptions)… They are on employment…(Interruptions)…

**SHRI VIJAY GOEL**: Private Members' Bills are also important. …(Interruptions)…

**SHRI JAIRAM RAMESH**: Sir, extend the time for Private Members' Bills from 5.00 p.m. to 6.00 p.m.

**MR. DEPUTY CHAIRMAN**: Anyhow, without taking your consensus or opinion, we will not do anything. I can assure you this. I will not steamroll it. I will not enforce it. I can assure you this.

**SHRI BHUBANESWAR KALITA:** Sir, I have a point of order.

**MR. DEPUTY CHAIRMAN**: What are you doing? What is your point of order? I have to listen to the point of order. (Followed by VKK/2H)